उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्

अधिनियम, 2008

(जैसा उत्तर प्रदेश, विधानसभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में मुक्त विद्यालय परिषद् को स्थापित करने एवं निगमित करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जो किसी विद्यालय में अपना प्रवेश नहीं करा सकते हैं, विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय—1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2— इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'परिषद्' का तात्पर्य धारा—3 के अधीन स्थापित राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) 'केन्द्र अधीक्षक' का तात्पर्य परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के पर्यवेक्षण के लिए परिषद् द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ग) 'सभापति' का तात्पर्य धारा—4 के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति से है;

(घ) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा–4 के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त परिषद् के निदेशक से है;

(ङ) 'कार्यकारिणी समिति' का तात्पर्य धारा–5 के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति से है;

(च) 'संस्था का प्रधान' का तात्पर्य परिषद के किसी अध्ययन–केन्द्र के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका से है;

(छ) 'निरीक्षक' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है;

(ज) 'मुक्त विद्यालय' का तात्पर्य परिषद् के अधीन समस्त अध्ययन–केन्द्रों से है जिसमें परिषद् भी सम्मिलित है;

(झ) 'विनियम' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ञ) 'क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप–शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक)' का तात्पर्य किसी क्षेत्र के संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप–शिक्षा निदेशक से है;

(ट) 'सचिव' का तात्पर्य धारा–17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परिषद् के सचिव से है;

(ठ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य मुक्त विद्यालय की इकाई के रूप में परिषद् द्वारा अभिज्ञानित और अनुमोदित संस्था से है।

अध्याय–दो

परिषद्

परिषद् की स्थापना और उसका निगमन

3–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसे राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश कहा जायेगा।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

परिषद् का गठन

4–(1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) सभापति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी होगा, जो शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सभापति

(ख) निदेशक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो अपर शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —सदस्य सचिव

(ग) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(घ) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(ङ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(च) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(छ) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(ज) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, इलाहाबाद —पदेन सदस्य

(झ) निदेशक, आकाशवाणी, इलाहाबाद —पदेन सदस्य

(ञ) कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद या उसका नाम निर्देशिती, जो विश्वविद्यालय के किसी विभाग के उपाचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(ट) निदेशक, पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद —पदेन सदस्य

(ठ) क्षेत्र सलाहकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली —पदेन सदस्य

(ड) राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि —सदस्य

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविद्, जिनमें से एक महिला शिक्षाविद् होगी —सदस्य

(ण) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन ऐसे प्रतिनिधि जो अध्ययन—केन्द्रों के प्राचार्य होंगे, जिनके पास प्राचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो —सदस्य

(त) निदेशक, उद्योग, कानपुर या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —सदस्य

(थ) निदेशक, राजकी मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य

(द) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश —पदेन सदस्य

(ध) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश —पदेन सदस्य

(2) परिषद् के गठन को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

कार्यकारिणी समिति

5—(1) परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) परिषद् का सभापति —पदेन सभापति

(ख) शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) या उसका नाम निर्देशिती —पदेन सदस्य

(ग) निदेशक, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश —पदेन सदस्य सचिव

(घ) कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद —सदस्य

(ङ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या उसका नाम—निर्देशिती —पदेन सदस्य

(च) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसका नाम—निर्देशिती —सदस्य

(छ) शिक्षा निदेशक (बेसिक) , उत्तर प्रदेश या उसका नाम—निर्देशिती —पदेन सदस्य

(ज) राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि —पदेन सदस्य

(2) सभापति कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

6— (1) परिषद् विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित समस्त विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए परिषद् की सामान्यतः निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी–

(एक) विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के क्रियाकलापों को निदेशित करना व पर्यवेक्षण करना तथा नियन्त्रित करना;

(दो) माध्यमिक सतर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाण–पत्र प्रदान करने वाले अनेक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उनका विकास करना;

(तीन) परिषद् के छात्रों के लिए व्यवसायिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उसका विकास करना, उसे विहित करना और प्रदान करना;

(चार) मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, कम्पैक्ट डिस्क, रोम और अन्य रूपों में स्वअध्ययन सामग्री की रूपरेखा तैयार करना और उसका विकास करना;

(पाँच) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(छः) राज्य स्तर की संस्थाओं यथा–राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन तथा प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं ऐसी अन्य संस्थाओं से सहयोग करना;

(सात) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों यथा–राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रमण्डल शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष और तत्सदृश अन्य ऐसे अभिकरणों से सहयोग करना जो गुणवत्ता और दूरस्थ शिक्षा प्रक्रिया और सामग्री के मानक में सुधार के प्रयास के लिए अनवरत संरत हो।

(आठ) नैदानिक समस्या के समाधान के लिए और मुक्त विद्यालय के निर्माण में विकास प्रगति के लिए शोध और विशेषकर कार्यात्मक शोध प्रारम्भ करना;

(नौ) मुक्त विद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन–केन्द्रों को खोलने के लिए अभिकरणों और संस्थाओं से सहयोग करना और ऐसे शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन–केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान करना;

(दस) शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन–केन्द्रों की उचित कार्यपद्धति के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना;

(ग्यारह) परिषद् द्वारा विकसित शिक्षा और अन्य सामग्री प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना और उन्हें मुद्रित करना;

(बारह) विनियमों, छात्रों के पंजीकरण की शर्तें, परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्रता, मानदण्ड और ऐसी परीक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया तथा अध्यापन एवं परीक्षा के समुचित सम्पादन के लिए समस्त आवश्यक अन्य मामले विहित करना और प्रमाण–पत्र भी प्रदान करना;

(तेरह) शुल्क और अन्य प्रभारों और उनके संग्रह की पद्धति के लिए उपविनियम विहित करना;

(चौदह) मुक्त विद्यालय के कर्मचारिवर्ग के सदस्यों, समन्वयको, मुक्त विद्यालय के अध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना जिन्हें अध्यापन–केन्द्रों और मुक्त शिक्षण से सम्बन्धित कार्मिक के राज्य प्रशिक्षण में संसाधन केन्द्र द्वारा शिक्षण सहायकों के रूप में लगाया जा सके।

स्पष्टीकरण–

(क) "समन्वयक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समन्वयक के रूप में परिषद् द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति से होगा;

(ख) 'विद्यालयों के अध्यापकों' का तात्पर्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर रहे मुक्त विद्यालय

के अध्यापकों से होगा और इसके अन्तर्गत प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाएं भी होंगी;

(पन्द्रह) परिषद् के लिए परिसर क्रय करना या अन्यथा अर्जित करना या उसे पट्टा या किराए पर लेना;

(सोलह) परिषद् की निधि और धन को निवेशित करना और उसे संव्यवहार में लाना;

(सत्रह) पुस्तकों और अन्य माध्यमों में शिक्षा सम्बन्धी सामग्री से युक्त पुस्तकालय की स्थापना करना;

(अट्ठारह) परिषद् के प्रयोजनार्थ सरकार या किसी व्यक्ति से अनुदान, अंशदान, शुल्क, दान, उपहार, वसीयत जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त या स्वीकार करना;

(उन्नीस) परिषद् के उपयोग के लिए भवन बनाना, उसका निर्माण करना, रख–रखाव करना और किसी विद्यमान भवन में परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत और परिष्कार करना और ऐसे भवन को उपयुक्त रूप से सुसज्जित करना;

(बीस) परिषद् के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी समितियां या उप–समितियां नियुक्त करना जैसी उचित समझी जायें और ऐसी समितियों या उप–समितियों के उचित कार्यकरण के लिए विनियम और मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करना;

(इक्कीस) परिषद् के कार्मिक सम्बन्धी प्रशासन के लिए और परिषद् के कृत्यों के उचित प्रबन्धन के लिए, जिसके अन्तर्गत परिषद् के कर्मचारिवर्ग हेतु कल्याणकारी उपाय भी हैं, सेवा विनियमावली बनाना;

(बाईस) परिषद् के और अधिक प्रभावी प्रबन्धन और कार्यकरण के लिए विद्यालय के किसी अधिकारी को या परिषद् द्वारा गठित किसी समिति या उपसमिति को अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;

(तेईस) ऐसे समस्त विधि—सम्मत कार्यों और विषयों पर, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के लिए आनुषंगिक हों या न हों, कार्रवाई करना जिन्हें परिषद् के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अग्रसर करने के लिए किया जाना अपेक्षित हो;

(चौबीस) परिषद् के अधीन प्रशासनिक, प्राविधिक और अन्य पदों, निदेशक के पद को छोड़कर, का सृजन करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उन पर नियुक्ति करना;

(पच्चीस) अध्यापकों और अध्येताओं के आदान—प्रदान द्वारा सामान्यतः ऐसी रीति से जो ऐसे उद्देश्य के लिए सहायक हों, ऐसी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः परिषद् के उद्देश्यों के सदृश हों;

(छब्बीस) परिषद् हेतु कार्यकलापों के संचालन के लिए विनियम बनाना;

(सत्ताइस) परिषद् की निधि का अनुरक्षण करना;

(अट्ठाइस) खण्ड (छब्बीस) में विनिर्दिष्ट निधि में जमा समस्त धन को ऐसे बैंकों में जमा करना या उन्हें राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति से निवेशित करना जैसा परिषद् विनिश्चित करे;

(उनतीस) उपरोक्तानुसार परिषद् के व्यय, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निष्पादन करते समय उपगत हुए व्यय भी हैं, की पूर्ति करना;

(तीस) लेखे और अन्य अभिलेख तैयार करना और उन्हें रखना और परिषद् के लेखों (तुलन—पत्र सहित) का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करना जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमावली द्वारा विहित किया जाय।

(इकतीस) ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे, यथा प्रमाणित परिषद् का लेखा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से भेजना;

(बत्तीस) मान्यता समिति की संस्तुति, यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त ऐसे अध्ययन केन्द्रों को ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाये जायें, मान्यता

प्रदान करना, अस्वीकार करना और, यदि वह उचित समझे, ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(तैंतीस) मान्यता प्राप्त अध्ययन–केन्द्रों का रजिस्टर रखना;

(चौंतीस) मान्यता प्राप्त अध्ययन–केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था करना,

(पैंतीस) पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त विनियमों द्वारा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, अनुसरण किये जाने वाले पाठ्यक्रम और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अध्ययन की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करना;

(छत्तीस) मुक्त विद्यालय के छात्रों के उपयोग के लिए, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों की तैयारी प्रकाशन और विक्रय का दायित्त्व लेना;

(सैंतीस) मुक्त विद्यालय के छात्रों के उपयोग के लिए और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अनुमोदित पुस्तकों की सूची रखना, समय–समय पर प्रकाशित करना और ऐसी किसी सूची से किसी ऐसे पुस्तक के नाम को हटाना;

(अड़तीस) परीक्षाओं का संचालन करना और इस निमित्त विनियमों को बनाना;

(उनतालीस) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना और उनके सम्बन्ध में डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र, पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;

(चालीस) परीक्षा समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हों, पर विचारोपरान्त विनियमों द्वारा, प्रशिक्षक सारणीकारों, परीक्षकों, कक्ष–निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में नियोजित अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों और ऐसी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस को उपबन्धित करना;

(इकतालीस) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जा सकें, अनुमति प्रदान

करना और अस्वीकार करना या ऐसी अनुमति को, यदि वह उचित समझे, वापस लेना;

(बयालीस) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी भविष्य–निधि संस्थित करना और संचालित करना जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जाये;

(तैंतालीस) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, निकाय, जिसकी सहायता व सलाह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन से सहयुक्त होना जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय;

(चवालीस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें;

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे कदम उठाए जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की प्रोन्नति के लिए और ऐसी प्रणाली में अध्यापन, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानकों को अवधारित करने के लिए उचित समझे।

परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, मानदेय और भत्ते

7– परिषद का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य धारा–30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिषद् की निधि से ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

परिषद् के अन्य सदस्यों की पदावधि

8–(1) पदेन–सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट पदावधि की समाप्ति पर किसी सदस्य को पुनः नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

9– यदि सभापति या किसी पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह अपना पद त्याग देता है या अन्यथा सभापति या अन्य सदस्य नहीं रह जाता है तो उक्त रिक्ति को, यथास्थिति नई नियुक्ति या नाम–निर्देशन द्वारा भरा जाएगा। आकस्मिक रिक्तियां

10– धारा–4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सभापति की नियुक्ति ऐसी अवधि, जो छः वर्ष से अधिक न हो, के लिए होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यथा पूर्वोक्त नियुक्ति अवधि के अवसान पर सभापति की पुनर्नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जैसा कि राज्य सरकार इस प्रकार अवधारित करे, तथपि सभापति के रूप में नियुक्ति की कुल अवधि (जिसमें पुनर्नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है) दस वर्ष से अधिक नहीं होगी। सभापति की पदावधि

11– सभापति या कोई अन्य सदस्य, यदि धारा–14 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अध्यधीन हो जाता है तो वह ऐसे दिनांक से, जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, यथास्थिति, सभापति या अन्य सदस्य नहीं रह जाएगा। परिषद् की सदस्यता के बीच में आ पड़ने वाली अनर्हता

12–(1) सभापति, राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में नोटिस देकर अपना पद–त्याग कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसे त्याग–पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर सभापति द्वारा अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जाएगा। सभापति और अन्य सदस्यों का त्याग–पत्र

(2) कोई अन्य सदस्य सभापति को ऐसा करने के लिए अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है और कार्यकारिणी समिति द्वारा ऐसे त्याग–पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर ऐसे सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

13– यदि सभापति की मृत्यु हो जाती है या वह अपना पद त्याग कर देता है या पद पर नहीं रह जाता है या अस्थायी रूप में अनुपस्थित हो या, किसी कारणवश शक्तियों का सभापति के पद के लिए अस्थायी व्यवस्था

प्रयोग करने और अपने पद के कर्त्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार निदेशक को प्राधिकृत करेगी कि वह तब तक सभापति की शक्तियों का प्रयोग करे और उसके कर्त्तव्यों का निष्पादन करे, यथास्थिति, जब तक सभापति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या नये सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

अनर्हता

14— कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या नाम—निर्दिष्ट किये जाने के लिए अनर्ह हो जाएगा यदि वह—

(क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्यायनिर्णीत किया गया हो;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ग) उन्मुक्त दिवालिया हो जो न्यायालय से यह प्रमाणपत्र न प्राप्त किया हो कि उसे अपनी ओर से किसी अवचार के बिना भ्रमवश दिवालिया बना दिया गया था;

(घ) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो;

(ङ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं या अपनी भागीदारी में,—

(एक) परिषद् द्वारा अनुमोदित या परिषद् के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित किसी पाठ्यपुस्तक में कोई अंश या हित धारण करता हो, या

(दो) परिषद् के आदेश से किसी कार्य में या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में कोई हित रखता हो, परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी पाठ्यपुस्तक में कोई अंश या हित धारण करता हो, उक्त उपखण्ड के अधीन अनर्हता उपगत किया हुआ नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन या पुनःप्रकाशन के दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हों।

बैठक का संचालन

15— सभापति या उसकी अनुपस्थिति में निदेशक परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यथास्थिति सभापति या निदेशक को किसी विषय पर मत देने का हक होगा

और ऐसी किसी बैठक में मतों की समानता के प्रत्येक मामले में उसके पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

मत का निबन्धन

16—(1) परिषद् का कोई सदस्य ऐसे किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा जिसमें उसका कोई व्यक्तिगत हित हो।

(2) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करने वाला सभापति या निदेशक उपधारा (1) के अधीन उठने वाले किसी प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिषद् में सेवारत व्यक्ति

17—(1) परिषद् में एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समूह "क" के प्रान्तीय शिक्षा सेवा अधिकारियों में से की जाएगी। सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय। सचिव निदेशक की अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता भी करेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश प्रान्तीय शिक्षा सेवा के अधिकारियों में से कर सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) परिषद् अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे और वह राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन ऐसी नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय सेवाओं के अधिकारी सम्मिलित हैं को अवधारित करेगी।

(4) परिषद् के लिए सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में भर्ती की रीति या तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या अल्पकालिक संविदा या विनियमित आधार पर होगी, जैसा कि परिषद् उचित समझे। विनिर्दिष्ट प्रकृति के उत्तरदायित्त्वों के कार्य के लिए व्यक्तियों को, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के उपबन्ध, यदि उचित समझा जाये, सहित नियत परिलब्धियों पर अभिनियोजित किया जायेगा।

(5) कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में वेतनमान राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुरूप होंगे।

अध्याय–तीन

परिषद् की समितियाँ

18–(1) परिषद् अध्ययन पाठ्यक्रमों पर सलाह देने के लिए एक विद्या सलाहकार समिति का गठन करेगी। विद्या सलाहकार समिति

(2) विद्या सलाहकार समिति द्वारा दी गयी सलाह, परिषद पर बाध्यकारी नहीं होगी किन्तु यदि परिषद्, विद्या सलाहकार समिति की सलाह को स्वीकार नहीं करती है तो परिषद् विद्या सलाहकार समिति द्वारा दी गयी सलाह को स्वीकार न करने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

(3) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन विद्या सलाहकार समिति में परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जाने वाले ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विख्यात विद्याविदों सहित सात सदस्य होंगे।

(4) सभापति विद्या सलाहकार समिति का सभापति होगा और शैक्षणिक विभाग का प्रधान विद्या सलाहकार समिति का सचिव होगा। परिषद् विद्या सलाहकार समिति में परिषद् के तीन से अधिक सदस्यों को नाम–निर्दिष्ट नहीं करेगी जिसमें सभापति सम्मिलित होगा।

(5) सभापति विद्या सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(6) विद्या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो परिषद् का सदस्य भी है, तब तक विद्या सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में पद धारण करता रहेगा जब तक वह परिषद् के सदस्य के रूप में प्रविरत नहीं हो जाता है।

(7) विद्या सलाहकार समिति का कोई सदस्य निदेशक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने के पश्चात् त्यागपत्र दे सकता है और परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह किसी बैठक में तद्निमित्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् विद्या सलाहकार समिति के किसी सदस्य को हटा दें।

19—(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों का भी गठन कर सकती है—

परिषद् की अन्य समितियॉ

(क) पाठ्य विवरण समिति

(ख) परीक्षा समिति

(ग) मान्यता समिति

(घ) वित्त समिति

(2) परिषद् ऐसी अन्य समिति या समितियों का गठन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में निदेशक होगा जो उसका सभापति होगा और उसमें ऐसे अन्य सदस्य, जो सात से अधिक न हों, होंगे जैसा कि परिषद् उचित समझे।

(4) ऐसी प्रत्येक समिति में उसका एक सचिव होगा जो निदेशक द्वारा परिषद् के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्त किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति में एक सचिव होगा जिसे परीक्षा नियन्त्रक के रूप में जाना जायेगा। ऐसा सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रान्तीय शिक्षा सेवा का अधिकारी होगा।

(5) परिषद् के किसी सदस्य को उपधारा (4) के अधीन गठित किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है किन्तु किसी ऐसी समिति में निदेशक सहित परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या चार से अधिक नहीं होगी।

20—(1) पाठ्य विवरण समिति परिषद् को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सलाह देगी—

पाठ्य विवरण समिति के कृत्य

(क) पाठ्य विवरण से सम्बन्धित मामले, अनुकरण किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम, और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अध्ययन की जाने वाली पुस्तकें और

(ख) कोई अन्य मामला, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामलों से सम्बन्धित या आनुषंगिक हो, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

परीक्षा समिति के कृत्य

21—(1) परीक्षा समिति परिषद् को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सलाह देगी—

(क) परीक्षा केन्द्रों का चयन, प्रश्नपत्र बनाने वाले, अनुसीमक, सारिणीकार, परीक्षक, अन्तरीक्षक, पर्यवेक्षक या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में लगाये गये अन्य व्यक्ति और उन्हें संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक दरें।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के लिए संदत्त की जाने वाली फीस, और

(ग) यथा पूर्वोक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले जो उसे परिषद् द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जाएं।

(2) परीक्षा समिति, परीक्षा नियन्त्रक के पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा संचालन के लिए उत्तरदायी होगी और सचिव द्वारा सफल छात्रों के लिए जारी किये जाने वाली माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाणपत्रों और व्यवसायिक प्रमाणपत्रों को भी तैयार करेगी।

मान्यता समिति के कृत्य

22– मान्यता समिति परिषद् को अध्ययन केन्द्रों की मान्यता से सम्बन्धित समस्त मामलों में सलाह देगी।

वित्त समिति के कृत्य

23– वित्त समिति परिषद का बजट तैयार करेगी और परिषद् को वित्त से सम्बन्धित ऐसे मामलों में सलाह देगी जो उसे परिषद् द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें।

अन्य समितियों के कृत्य

24– धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा गठित की गयी समिति, यदि कोई हो, ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जो परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।

अध्याय–चार

सभापति और निदेशक की शक्तियां और कृत्य

सभापति और निदेशक की शक्तियाँ और कृत्य

25–(1) (क) सभापति परिषद् का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियन्त्रण रखेगा;

(ख) सभापति, किसी आपात स्थिति में, परिषद् की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परन्तु वह परिषद् के किसी विनिश्चय के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा और ऐसी किसी

शक्ति का प्रयोग करने पर उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में उसके लिए कारण सहित परिषद् को यथा शक्य शीघ्र रिपोर्ट देगा।

(2) निदेशक–

(क) परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने और प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) भत्तों के लिए ऐसे दावों को स्वीकृत, ऐसी दरों पर कर सकता है जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे;

(ग) परिषद् के किन्हीं विनिश्चयों के प्रतिकूल होने वाली ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जैसा कि वह परिषद् की समुचित कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय–पांच

बैठकें

परिषद् की बैठकें

26–(1) परिषद् की वार्षिक बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के माह दिसम्बर में आयोजित की जाएगी।

(2) परिषद् ऐसे अन्य समयों पर बैठकें आयोजित कर सकती है जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे।

(3) परिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) सभापति से परामर्श करके निदेशक द्वारा तैयार की जाने वाली कार्यसूची सहित सदस्यों को दस दिन की नोटिस देने के पश्चात् निदेशक द्वारा परिषद् की बैठक बुलायी जाएगी।

(5) निदेशक सभापति की सलाह पर या उससे परामर्श करके सदस्यों को किसी अत्यावश्यक मामले को व्यवहृत करने के लिए दो दिन की नोटिस देने के पश्चात् परिषद् की आपात बैठक बुला सकता है।

अध्याय—छः

वित्त एवं लेखा परीक्षा

27—(1) सभापति पिछले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् की कार्यप्रणाली पर अनुवर्ती वर्ष, जिसमें उसका गठन किया गया हो, के अगले वर्ष में परिषद् की प्रथम वार्षिक बैठक में और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्षिक बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वह उस वर्ष के परिषद् के वार्षिक लेखा को भी प्रस्तुत करेगा। वार्षिक रिपोर्ट

(2) रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को, उन पर ऐसी टिप्पणियों सहित जैसा कि सभापति टिप्पणी करने के लिए उचित समझें, परिषद् की वार्षिक बैठक में उन्हें प्रस्तुत किये जाने के एक माह के पूर्व परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा।

28—(1) सभापति उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वार्षिक बैठक आयोजित की जाय, के दौरान परिषद् की प्रत्याशित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाय, बजट प्राक्कलन प्रत्येक वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा। बजट

(2) बजट प्राक्कलन, परिषद् द्वारा पुष्टिकरण के पश्चात् राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर अग्रसारित कर दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये।

(3) राज्य सरकार बजट प्राक्कलन की प्राप्ति के एक माह के भीतर उस पर या तो अपना अनुमोदन प्रदान करेगी या ऐसी टिप्पणियां और सुझावों, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के साथ उसे परिषद् को वापस कर देगी, यदि उसकी राय में ऐसा प्राक्कलन—

(एक) अभिनिश्चय तथ्यों के सन्दर्भ में युक्तियुक्त या यथार्थ न हो,

(दो) जिसमें आवर्ती व्यय की ऐसी नई मदें सम्मिलित हों, जिन्हें ऐसे आगामी वित्तीय दायित्त्वों में परिषद् पर अधिरोपित किये जाने की सम्भावना हो जिनकी परिषद् के लिए अपनी आय से पूर्ति करने योग्य होना सम्भव नहीं है; या

(तीन) जिसमें व्यय के ऐसे उपबन्ध सम्मिलित हों, जो इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार न हों।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन बजट प्राक्कलन वापस कर दिया जाता है तो परिषद् राज्य सरकार द्वारा की गयी टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगी और यदि वह उचित समझे तो उक्त प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर सकती है। तब परिषद् राज्य सरकार को यथा संशोधित बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगी या परिषद्, यदि प्राक्कलन को पुनरीक्षित करना उचित नहीं समझती है तो उसे राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियों सहित उसे प्राप्त करने के एक माह के भीतर अपने मूल रूप में प्रस्तुत करेगी।

(5) यदि राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथा पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन को अनुमोदित नहीं करती है या यदि परिषद् द्वारा बिना किसी पुनरीक्षण के बजट प्राक्कलन को वापस कर दिया जाता है तो राज्य सरकार निम्नलिखित द्वारा बजट प्राक्कलन को संशोधित कर सकती है–

(एक) ऐसे उपान्तर करके जो उसकी राय में सुनिश्चित किये जाने योग्य तथ्यों के सन्दर्भ में प्राक्कलन को उचित रूप से निष्पादित करने या आय और व्यय को सन्तुलित करने के लिए आवश्यक हों

(दो) किसी आवर्ती प्रकृति के नये व्यय से सम्बन्धित किसी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन या उपान्तर करके;

(तीन) व्यय सम्बन्धी किन्हीं ऐसे उपबन्धों में, कोई परिवर्तन या उपान्तर करके जो उसकी राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार न हो;

और वह इस प्रकार यथा संशोधित बजट प्राक्कलन को परिषद् को भेजेगी और इस प्रकार वापस किया गया बजट प्राक्कलन सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए परिषद् का बजट प्राक्कलन होगा।

(6) यदि राज्य सरकार उपधारा (5) में निर्दिष्ट बजट प्राक्कलन को अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करती है तो ऐसा प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन के लिए उसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर या परिषद् द्वारा पुनरीक्षण सहित या बिना पुनरीक्षण के उसकी पुनःप्रस्तुति के दो माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

29— राज्य सरकार बजट प्राक्कलन, परिषद् के लेखे और बजट प्राक्कलन के ऐसे पुनरीक्षण, जैसा वह आवश्यक समझे, पर विचारोपरान्त उसे ऐसा वार्षिक या आवधिक अनुदान प्रदान कर सकती है जैसा वह उचित समझे, परन्तु परिषद् की स्थापना हो जाने पर और राज्य सरकार को प्रथम बजट प्राक्कलन भेजे जाने के पूर्व राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट जिसे वह परिषद् से माँग सकती है, विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रारम्भिक अनुदान प्रदान कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

परिषद् की निधि

30—(1) परिषद् एक निधि का सृजन करेगी जिसे राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् निधि (जिसे आगे इस अधिनियम में परिषद् की निधि कहा गया है) कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगीः—

(क) समस्त धनराशि जिसका भुगतान धारा—29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाय;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन वसूल किया गया समस्त शुल्क और अन्य प्रभार;

(ग) अध्ययन केन्द्र से या अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त धन;

(घ) विन्यास से, यदि कोई हो, या परिषद् द्वारा स्वामित्त्व प्राप्त या प्रबन्धित सम्पत्ति से होने वाली आय का प्रतिनिधित्त्व करने वाली समस्त धनराशि;

(ङ) किन्हीं अन्य स्रोतों से मुक्त विद्यालय की ओर से परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशि।

(2) निधि परिषद् में निहित होगी और उसके नियन्त्रण में होगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में रखी जाएगी।

(3) परिषद् के खाते में देय समस्त धन को तत्काल इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निधि के खाते में जमा किया जाएगा और निधि से आहरित समस्त चेक निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे जिसे उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किया जाय।

निधि से व्यय

31— इस अधिनियम के प्रयोजनों के सिवाय और जब तक इस अधिनियम के अधीन यथा अनुमोदित बजट में व्यय के लिए व्यवस्था न की गयी हो और उसकी पूर्ति पुनर्विनियोग द्वारा ऐसी रीति से न की गयी हो जैसी विहित की जाय, परिषद की निधि से कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

लेखा

32— परिषद् अपनी प्राप्तियों एवं व्यय का ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा रखेगी।

लेखापरीक्षा

33—(1) परिषद् के लेखा की परीक्षा और लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक रूप से ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक,—

(क) परिषद् के वित्तीय मामले या उसकी आस्तियों से सम्बन्धित किसी ऐसे दस्तावेज, जिसे वह लेखापरीक्षा के उचित संचालन के लिए आवश्यक समझे, को अपने समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) ऐसे दस्तावेज के लिए उत्तरदायी, उसे अपनी अभिरक्षा या नियन्त्रण में रखने वाले व्यक्ति से अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और दस्तावेज से सम्बन्धित किसी प्रश्न का लिखित रूप में उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है;

(ग) किसी व्यक्ति से अपने समक्ष उपस्थित होकर किसी ऐसे दस्तावेज के बजाय कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) परिषद् और उसके प्रत्येक सदस्य और सचिव और परिषद् की सेवा में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षक को परिषद् के लेखा की परीक्षा और लेखा परीक्षा के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान करें और उपधारा (2) के अधीन

लेखापरीक्षक द्वारा की गयी किसी मांग और उस निमित्त बनाये गये किसी नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी मांग को जानबूझकर दबाता है या उसका अनुपालन करने से इंकार करता है या इस निमित्त किसी नियम द्वारा की गयी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है तो वह, दोषसिद्ध हो जाने पर, ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई शिकायत, राज्य सरकार की पूर्वस्वीकृति के बिना, नहीं की जायेगी।

(6) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (4) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

34—(1) लेखापरीक्षा के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, लेखापरीक्षक राज्य सरकार को सम्परीक्षित लेखा पर 14 दिन के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति परिषद् को भेजेगा और तदुपरि परिषद् रिपोर्ट को उस पर अपनी अभ्युक्ति के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे।

अध्याय—सात

अनुपूरक उपबन्ध

भत्तों का भुगतान

35—(1) धारा—7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य, यथास्थिति परिषद् या समिति की बैठकों में सम्मिलित होने या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सचिव जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना अधिकारी होगा।

परिषद् द्वारा सूचना उपलब्ध कराया जाना

36– परिषद् राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और विवरण प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाय और परिषद् से सम्बन्धित ऐसी अग्रतर सूचना या कोई मामला उपलब्ध करायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय।

कार्यवाहियाँ निलम्बित करने की राज्य सरकार की शक्ति

37– राज्य सरकार, परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को, लिखित आदेश द्वारा और उसका कारण बताते हुए, निलम्बित कर सकती है और किसी ऐसे कार्य के क्रियान्वयन को प्रतिषिद्ध कर सकती है जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित है या जिसका किया जाना आशयित है, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा संकल्प आदेश या कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, परिषद् या किसी समिति पर प्रदत्त शक्तियों से बाहर है।

कतिपय व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाना

38– परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्यों या परिषद् की सेवा में लगे व्यक्तियों और परिषद के लेखा की लेखापरीक्षा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

संरक्षण

39– इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

व्यावृत्ति

40– इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगीः–

(क) परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति में किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में किसी दोष के होने पर; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य द्वारा धारा 15 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मामले में मतदान करने पर; या

(ग) किसी ऐसे दोष या अनियमितता के होने पर जिसका किसी मामले के गुणागुण पर प्रभाव न पड़ता हो।

अस्थायी उपबन्ध

41—(1) अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रथम विनियमावली बनायेगा।

(2) प्रथम विनियमावली एक वर्ष की अवधि तक या जब तक इस अधिनियम के अधीन कार्यकारिणी समिति द्वारा विनियमावली न बना ली जाय, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगी।

नियम बनाने की शक्ति

42—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किया जा सकता है:—

(क) परिषद् द्वारा सम्पत्ति का अर्जन, कब्जा और व्ययन, ऐसे अर्जन, कब्जा और व्ययन, और धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य के किये जाने की शर्तें;

(ख) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (बयालीस) में निर्दिष्ट भविष्य निधि, परिषद् द्वारा संस्थित और संचालित की जायेगी;

(ग) प्रपत्र, जिसमें परिषद् का बजट प्राक्कलन, जैसा धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है; तैयार किया जायेगा;

(घ) समय जिसके भीतर, जैसा धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को भेजा जायेगा;

(ङ) रीति, जिससे समस्त भुगतान परिषद् की निधि में या निधि से किया जाएगा;

(च) धारा 31 के अधीन पुनर्विनियोग की रीति;

(छ) धारा 32 के अधीन प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा रखे जाने की रीति;

(ज) रीति, जिससे परिषद् की लेखा की परीक्षा और लेखापरीक्षा धारा 33 के अधीन की जायेगी;

(झ) धारा 36 के अधीन परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली रिपोर्ट, विवरणियाँ और कथन और ऐसी रिपोर्ट, विवरणियों और कथनों का प्रपत्र; और

(ञ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किये जाने या उपबन्धित किये जाने के लिए अपेक्षित है।

विनियम बनाने की शक्ति

43– कार्यकारिणी समिति परिषद् के अनुमोदन से और अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति के उचित प्रयोग और अपने कृत्यों के निष्पादन से सम्बन्धित किसी मामले या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

राज्य सरकार के निदेशों द्वारा परिषद् को मार्गदर्शित किया जाना

44– परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में पाठ्यक्रम के क्षेत्र और विषयवस्तु के मामले में ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगी जैसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा दिये जायें।